न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस. द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01/2026
जीसीएमएस नं. 54/2026
प्रविष्टि दिनांक 12.03.2026

सरकार जरिए तहसीलदार नगरफोर्ट जिला टोंक

--प्रार्थी

बनाम

रामसहाय पुत्र जगदीश प्रसाद चौधरी जाति जाट निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट, जिला टोंक

--अप्रार्थी

रेफरेंस प्रार्थना पत्र विरूद्ध आदेश तहसीलदार नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट शुद्धिपत्र संख्या 13 दिनांक 13.05.2025 वाके ग्राम गुराई पटवार मण्डल गुराई तहसील नगरफोर्ट।

उपस्थितः—

1. पेरोकार सरकार श्री मजहर आलम एड.।
   अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 17/4/26

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार हैं कि पटवार मण्डल गुराई के ग्राम गुराई के खसरा नम्बर 1581 रकबा 0.51 हैक्ट0 किस्म बारानी 1 खसरा नम्बर 1629 रकबा 1.25 हैक्ट0 किस्म बारानी 1 जमाबंदी सम्वत 2074—77 के खाता संख्या 01 (सिवायचक खाता) में दर्ज रिकार्ड था। तत्कालीन पटवारी नरेन्द्र बैरवा एवं तत्कालीन रिसोर्स पर्सन श्री शुभम सुहाल द्वारा फर्जी न्यायालय आदेश का हवाला देकर नामान्तकरण संख्या 1640 दिनांक 21.08.2023 को दर्ज किया गया, जिसमें उक्त खसरा नम्बरान सिवायचक काबिल काश्त भूमि को रामसहाय पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट सा.देह गैरखातेदार दर्ज कर दिया गया। नामान्तरण संख्या 1640 बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश एवं न ही कोई वैध दस्तावेज के दर्ज किया जिसके उपरान्त पटवारी द्वारा रिपोर्ट कर फर्जी स्कैनिंग के द्वारा तहसीलदार स्तर से स्वीकृत किया गया। नामान्तरण संख्या 1640 का ही हवाला देकर शुद्धिपत्र संख्या 13 दिनांक 09.05.2025 दर्ज किया गया है।

उक्त नामान्तरकरण संख्या 1640 दिनांक 21.08.2023 को नियमों के विरूद्ध बताते हुए उक्त भूमि को पुनः पूर्व यथास्थिति में करने हेतु उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ परन्तु अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव कथन किया कि पटवार मण्डल गुराई के ग्राम गुराई के खसरा नम्बर 1581 रकबा 0.51 हैक्ट0 किस्म बारानी 1 खसरा नम्बर 1629 रकबा 1.25 हैक्ट0 किरम बारानी 1 जमाबंदी सम्बत 2074–77 के खाता संख्या 01 (सिवायचक खाता) में दर्ज रिकॉर्ड था। तत्कालीन पटवारी नरेन्द्र बैरवा एवं तत्कालीन रिसोर्स पर्सन श्री शुभम सुहाल द्वारा फर्जी न्यायालय आदेश का हवाला देकर नामान्तकरण संख्या 1640 दिनांक 21.08.2023 को दर्ज किया गया, जिसमें उक्त खसरा नम्बरान सिवायचक काबिल काश्त भूमि को रामसहाय पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट सा.देह गैरखातेदार दर्ज कर दिया गया।

नामान्तकरण संख्या 1640 दिनांक 21.08.2023 को रिसोर्स परसन श्री शुनम सुहाल द्वारा नामान्तरण संख्या 1640 की मूल प्रति पर तत्कालीन पटवारी नरेन्द्र बैरवा द्वारा 09.11.2023 को पटवारी रिपोर्ट की गई, उक्त मूल प्रति पर तत्कालीन भू०अ०नि० नगरफोर्ट श्री रामकेश मीना की जांच रिपोर्ट व तत्कालीन राजस्व अधिकारी श्री दशरथ मीना का स्वीकृति आदेश नहीं है। जबकि उक्त नामान्तकरण लॉक करते समय स्कैनिंग की गई नामान्तकरण प्रति पर तत्कालीन पटवारी नरेन्द्र बैरवा की रिपोर्ट दिनांक 09.11.2023 की व भू०अ०नि० की जांच रिपोर्ट 19.10. 2023 व राजस्व अधिकारी स्वीकृत दिनांक 20.10.2023 दर्ज है। भू०अ०नि० की जांच दिनांक रिपोर्ट व तत्कालीन तहसीलदार का स्वीकृति आदेश की दिनांक पटवारी रिपोर्ट की दिनांक से पूर्व की दिनांक अंकित है। मूल परत पर भू०अ०नि० की जांच रिपार्ट एवं राजस्व अधिकारी से स्वीकृति नहीं होने व स्कैनिंग की गई परत में भू०अ०नि० की जांच रिपोर्ट एवं राजस्व अधिकारी की स्वीकृति की गई दिनांक पटवारी रिपोर्ट से पूर्व की होने से स्पष्ट है कि स्कैनिंग प्रति में भू०अ०नि० की जांच रिपार्ट एवं राजस्व अधिकारी की स्वीकृति अन्य नामान्तकरण से एडिट कर फर्जी स्कैनिग प्रति तैयार कर नामान्तकरण लॉक किया गया।

तत्कालीन पटवारी श्री नरेन्द्र बैरवा ने न्यायालय आदेश का हवाला दिया है जिसमे न्यायालय आदेश में डिस्पेच क्रमांक व दिनांक व कार्यालय की मुद्रां इत्यादि कुछ भी नहीं है और न ही कोई आवंटन आदेश है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त आदेश कूटरचित व फर्जी तैयार किया गया है। भू०अ०नि० नगरफोर्ट श्री रामकेश मीना द्वारा दिनांक 25.09.2024 को पटवार हल्का गुराई का निरीक्षण करने के दौरान संज्ञान में आने पर उक्त नामान्तकरण 1640 को तत्कालीन तहसीलदार श्री इन्द्रकुमार विजय द्वारा रिसोर्स पर्सन पटवारी से पुर्नावलोकन करवाकर गैर खातेदारी भूमि को पुनः सिवायचक भूमि में दर्ज कर दिया गया था। उक्त नामान्तकरण संख्या 1640 का पुनरावलोकन कर सिवाय चक काबिल काश्त करने पर पुनः प्रार्थी रामसहाय पुत्र जगदीश प्रसाद जाट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो तहसील कार्यालय हाजा के कमांक 151 दिनांक 29.01.2025 को पटवारी हल्का गुराई के पास प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया है। जिसके साथ में जुमाबंदी सम्वत 2074–77 की सत्यप्रतिलिपि संलग्न भिजवाई है। तत्कालीन हल्का पटवारी गुराई श्री अभिषेक सिंह द्वारा पटवार मण्डल गुराई का

चार्ज दिनांक 01.05.2025 को लिया गया था पटवारी हल्का द्वारा कार्यालय हाजा से प्राप्त पत्रांक 151 दिनांक 29.01.2025 की रिपोर्ट 05 (पाँच) माह बाद पटवारी हल्का द्वारा तहसील कार्यालय में पेश की गई व उसी दिन दिनांक 09.05.2025 की ही तत्कालीन तहसीलदार इन्द्र कुमार विजय द्वारा शुद्धि पत्र पर बिना भू०अ०नि० की जाँच के ही आदेश जारी किये गये जो प्रकरण मेलाफाईड एवं संदिग्ध प्रतीत होता है।

रिसोर्स पर्सन पटवारी शुभम सुहाल के पूर्व में ही संज्ञान में होते हुये भी नवपदस्थापित पटवारी से शुद्धि की रिपोर्ट से पुनः शुद्धि पत्र क्रमांक 13 दिनांक 13.5.2025 दर्ज कर जानबुझकर राजस्व कार्य में पद का दुरुपयोग करते हुये घोर लापरवाही की गई है।

नवतत्कालीन पटवारी अभिषेक सिंह के संज्ञान में आते ही दिनांक 26.05.2025 की तत्कालीन तहसीलदार इन्द्रकुमार विजय को ग्राम गुराई के शुद्धि पत्र क्रमांक़ 13 दिनांक 14.05.2025 को खारिज कर खाते को यथावत रखने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, तत्कालीन तहसीलदार ने पत्र क्रमांक–राजस्व/25/83 दिनांक 27.5.2025 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक को शुद्धि पत्र से हुये नामान्तकरण के मामले में मार्गदर्शन चाहा गया था परन्तु उक्त खाता आज भी गैरखातेदार रामसहाय पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम गुराई के नामान्तकरण संख्या 1640 बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश एवं न ही कोई वैध दस्तावेजात के दर्ज किया गया है। जिसके उपरान्त पटवारी द्वारा रिपोर्ट कर फर्जी स्कैनिंग के द्वारा तहसीलदार स्तर से स्वीकृत किया गया। जो पूर्णतया नियमानुसार गलत है। नामान्तरण संख्या 1640 का ही हवाला देकर शुद्धिपत्र संख्या 13 दर्ज किया गया है, जो भी पूर्णतया गलत साबित होता है।

अतः पटवार मण्डल गुराई के ग्राम गुराई के खसरा नम्बर 1581 रकबा 0.51 हैक्ट, किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1629 रकबा 1.25 हैक्ट0 किस्म बारानी 1 जमाबंदी सम्वत् 2074–77 के-खाता संख्या 01 (सिवायचक खाता) में पुनः पूर्व यथास्थिति में करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी अनुपस्थित रहा।

हमने राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि पटवार मण्डल गुराई के ग्राम गुराई के खसरा नम्बर 1581 रकबा 0.51 हैक्ट0 किरम बारानी 1. खसरा नम्बर 1629 रकबा 1.25 हैक्ट0 किस्म बारानी 1 जमाबंदी सम्बत 2074–77 के खाता संख्या 01 (सिवायचक खाता) में दर्ज रिकार्ड था। तत्कालीन पटवारी नरेन्द्र बैरवा एवं तत्कालीन रिसोर्स पर्सन श्री शुभम सुहाल द्वारा फर्जी न्यायालय आदेश का हवाला देकर नामान्तकरण संख्या 1640 दिनांक 21.08.2023 को दर्ज कर खसरा नम्बरान सिवायचक काबिल काश्त भूमि को रामसहाय पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट सा.देह गैरखातेदार दर्ज कर दिया गया। नामान्तरकरण की मूल प्रति पर तत्कालीन भू०अ०नि० रिपोर्टर श्री रामकेश मीना की जांच रिपोर्ट व तत्कालीन राजस्व अधिकारी श्री

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

दशरथ मीना का स्वीकृति आदेश नहीं है। जबकि उक्त नामान्तकरण लॉक करते समय स्कैनिंग की गई नामान्तकरण प्रति पर तत्कालीन पटवारी नरेन्द्र बैरवा की रिपोर्ट दिनांक 09.11.2023 की व भू०अ०नि० की जांच रिपोर्ट 19.10.2023 व राजस्व अधिकारी स्वीकृत दिनांक 20.10.2023 दर्ज है। भू०अ०नि० की जांच दिनांक रिपोर्ट व तत्कालीन तहसीलदार का स्वीकृति आदेश की दिनांक पटवारी रिपोर्ट की दिनांक से पूर्व की दिनांक अंकित है। इससे स्पष्ट है कि स्कैनिंग प्रति में भू०अ०नि० की जांच रिपार्ट एवं राजस्व अधिकारी की स्वीकृति अन्य नामान्तकरण से एडिट कर फर्जी स्कैनिग प्रति तैयार कर नामान्तकरण लॉक किया गया। तत्कालीन पटवारी श्री नरेन्द्र बैरवा ने न्यायालय आदेश का हवाला दिया है जिसमे न्यायालय आदेश में डिस्पेच क्रमांक व दिनांक व कार्यालय की मुद्रां इत्यादि कुछ भी नहीं है और न ही कोई आवंटन आदेश है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त आदेश कूटरचित व फर्जी तैयार किया गया है। उक्त फर्जी नामान्तरकरण संख्या 1640 का ही हवाला देकर शुद्धि पत्र संख्या 13 दिनांक 09.05.2025 को बिना भू–अभिलेख निरीक्षण के जांच के आदेश जारी किया गया। जो प्रकरण मेलाफाईड एवं संदिग्ध प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम गुराई के नामान्तकरण संख्या 1640 बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश एवं न ही कोई वैध दस्तावेजात के दर्ज किया गया है। जिसके उपरान्त पटवारी द्वारा रिपोर्ट कर फर्जी स्कैनिंग के द्वारा तहसीलदार स्तर से स्वीकृत किया गया। जो कि अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध प्रतीत होता है। नामान्तरण संख्या 1640 का ही हवाला देकर शुद्धिपत्र संख्या 13 दर्ज किया गया है, जो भी पूर्णतया गलत साबित होता है। उक्त फर्जी नामान्तरकरण में तत्कालीन पटवारी नरेन्द्र बैंरवा एवं तत्कालीन रिसोर्स परसन शुभम सुहाल एवं तत्कालीन तहसीलदार इन्द्रकुमार विजय की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है।

फलतः तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पटवार मण्डल गुराई के ग्राम गुराई के खसरा नम्बर 1581 रकबा 0.51 हैक्ट0 किस्म बारानी 1 खसरा नम्बर 1629 रकबा 1.25 हैक्ट0 किस्म बारानी 1 को पूर्व यथास्थिति में सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17/5/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अति.जिला कलेक्टर
टोंक